हर आंगनबाड़ी केंद्र पर लगेगा चापाकल

पटना (एसएनबी)। राज्य के हर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सरकारी चापाकल लगेगा। सरकार ने राज्य के 9374 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चापाकल लगाने के लिए एकतालीस करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार तीन सौ रुपये खर्च करेगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत इसकी स्वीकृति दे दी है। यह चापाकल वहीं लगाये जायेंगे जहां आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहे हैं।

पुराने बंद पड़े 124929 चापकलों की भी होगी मरम्मत

इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भू-गर्भीय संरचना के अनुसार इंडिया मार्क 3 पम्प के साथ चापाकल, ग्रैवल पैक्ड चापाकल, ड्रिल्ड चापाकल एवं लौह अयस्क निष्कासन संयंत्र अटैचमेन्ट यूनिट के साथ चापाकलों के निर्माण होगा ताकि पेयजल स्रोत दीर्घकाल तक कार्यशील रह सके। इस योजना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत राशि का वहन भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, वहीं सरकार ने भू-जल स्तर में गिरावट के कारण राज्य भर में बंद 124929 चापाकलों को चालू करने का भी फैसला किया है। इसके लिए बीस करोड़ सैंतालीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ रुपये की स्वीकृति दी है। विभाग के अनुसार राज्य में विगत मौनसून में कम वर्षापात होने तथा वर्तमान गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था को बनाये रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान चापाकलों को चालू रखा जाना आवश्यक है। मालूम हो कि राज्य के आंशिक रूप से आच्छादित टोलों में 18470 नये चापाकल लगाने की भी घोषणा कर रखी है। इसके लिए बयासी करोड़ चौंसठ लाख चौंतीस हजार रुपये की स्वीकृति दी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन टोलों के आच्छादन हेतु भू-गर्भीय संरचना के अनुसार इंडिया मार्क-थ्री पम्प के साथ चापाकल, ग्रैवल पैक्ड चापाकल एवं ड्रिल्ड चापाकल लगायेगा। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में 33788 लाख रुपये का एलोकेशन भारत सरकार द्वारा संसूचित किया गया है,परंतु अभी उक्त एलोक्शन के विरुद्ध राशि विमुक्त नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 में केन्द्र प्रयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 26 सूखाग्रस्त जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त टोलों में सोलर पम्प, डीजल जेनरेटिंग सेट और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के लिए ग्यारह करोड़ अस्सी लाख की राशि आवंटित की गयी थी। इसके तहत विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु विधुत पम्प आधारित 1500 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाएं एवं 400 सोलर पम्प आधारित योजनाओं की स्वीकृति मिली थी। इसमें अधिक लौह प्रभावित 9 जिलों में ट्रिटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प आधारित 500 मिनी पाइप जलापूर्ति योजना,आर्सेनिक प्रभावित 13 जिलों के लिए ट्रिटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प आधारित 150 एवं फ्लोराइड प्रभावित 11 जिलों में ट्रिटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प आधारित 350 योजनाओं को इसमें